न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या : 05 / 2021

1. दिनेश पुत्र मुक्तिलाल जाति सैनी निवासी ज्योतिबानगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.

—(वादी)

बनाम

1. किस्तूरी पुत्री मुक्तिलाल पत्नी बनवारी
2. आंची पुत्र मुक्तिलाल पत्नी सुलतान
   समस्त जाति सैनी निवासी भरण की ढ़ाणी तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर
3. बिमला पुत्री मुक्तिलाल पत्नी किरोड़मल
4. कमला पुत्री मुक्तिलाल पत्नी महेन्द्र कुमार
   समस्त जाति सैनी निवासी रूपावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.
5. भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला

— (प्रतिवादीगण)

दावा — घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री भजनाराम एड. (वादी की ओर से)
श्री बसन्त कुमार एड़ (प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से)

दिनांक : 16.03.2021

निर्णय

संक्षेप में वादी के वादपत्र के तथ्य निम्नानुसार है कि भूमि ख. नं. 332, 333, 335, 344, 346, 354, 356, 359, 365, 367, 369, 371 किता 12 रकबा 2.36 है. तन ग्राम ज्योतिबानगर प. ह. चौकड़ी तहसील खण्डेला में अवस्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी के मृतक पिता मुक्तिलाल पुत्र गोरूलाल के नाम दर्ज है। भूमि ख. नं. 495 रकबा 0.50 है. तन ग्राम ज्योतिबानगर प. ह. चौकड़ी तहसील खण्डेला में अवस्थित है जिसकी खातेदारी वादी के मृतक पिता मुक्तिलाल पुत्र गोरूलाल के नाम दर्ज चली आ रही है। वादी व प्रतिवादीगण आपस में भाई—बहिन है जो कि मुक्तिलाल के वारिसान है। उक्त भूमियां वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमियां है। वादी का पिता मुक्तिलाल जो कि अपने ग्राम बालाला तन खण्डेला से अपने नाना चीमाराम के चौकड़ी गोद आ गया था तथा ग्राम चौकड़ी के बतौर दत्तक पुत्र अपने नाना के पास रहा तथा अपने दत्तक पिता/माता की सेवा सुश्रुषा की है तथा चीमाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी अचल सम्पति सम्बन्धित कोई परिवार विवाद नहीं हो उसको मध्यनजर रखते हुए अपने नाम दर्ज भूमियों को जरिये विकय लेख अपने दत्तक पुत्र मुक्तिलाल के पक्ष में तस्दीक करवा दिया था लेकिन विकय लेख तस्दीक करवाते समय मुक्तिलाल के वल्दीयत उसके जायंदा पिता गोरूलाल का नाम दर्ज हो गया जबकि मुक्तिलाल के अन्य सभी दस्तावेजों राशनकार्ड, पहचानपत्र आदि में वादी के पिता मुक्तिलाल की वल्दीयत में उसके दत्तक पिता चीमाराम का ही नाम दर्ज चला आ रहा है तथा मुक्तिलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी दत्तक पिता चीमाराम का ही नाम दर्ज है जबकि खातेदारी भूमियों में मुक्तिलाल के जायंदा पिता गोरूलाल का नाम दर्ज है। वादी अपने पिता के नाम दर्ज भूमियों का अकेला काबिज काश्त चला आ रहा है इसलिए वादी उक्त वर्णित भूमियों में वादी के पिता के नाम से दर्ज मुक्तिलाल पुत्र गोरूलाल के स्थान पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त वर्णित भूमियों पर वादी पारिवारिक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned by TapScanner

सैटलमेंट के मुताबिक अकेला ही काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के भात पेज आदि सामाजिक कार्यो का खर्चा वादी ही करता आ रहा है इसके बदले में प्रतिवादी नं. 1 ता 4 ने वर्णित भूमियों में अपना हक व हिस्सा वादी के हक में त्याग दिया है तथा आज वर्तमान में अकेला वादी ही काबिज काश्त चला आ रहा है इसलिए भी वादी खातेदारी अकेला अपने नाम करवाने का अधिकारी है। उक्त वर्णित भूमियां वादी के नाम दर्ज नहीं होने से वादी भूमियों का सम्पूर्ण विकास नहीं कर पा रहा है तथा सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से भी महरूम हो रहा है। वादी ने उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी अपने नाम करवाने बाबत प्रतिवादीगण से कहा तो पहले हां करते रहे लेकिन दावा दायरी से अर्सा दो रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये तथा धमकियां दी है कि राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर भूमियों को दीगर को बेचान कर देंगे, रहन रख देंगे, वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने लगे, इसलिए वाद कारण पैदा होकर दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

उक्त आशय का दावा पेश होने पर दावा रिपोर्ट सरिस्ता होकर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के दावे को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला से बिन्दूवार जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वरवक्त बहस वकील उभयपक्ष ने मुताबिक अनुतोष एवं मुताबिक ईकबाली जवाब प्रकरण में निर्णय पारित फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से प्रस्तुत ईकबाली जवाब, भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त बिन्दुवार जवाब आदि का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादी के पिता के दस्तावेजात यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, वोटर आई.डी. आदि में उनके पिता का नाम चीमाराम ही नाम दर्ज है। भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ने भी अपने जवाब में मुक्तिलाल पुत्र गोरूलाल तथा मुक्तिलाल पुत्र चीमाराम एक ही व्यक्ति होना अंकित किया है तथा मुक्तिलाल को अपने नाना चीमाराम के गोद आना अंकित किया है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादी के दावे को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब पेश किया है। ऐसी स्थिति में विवादित पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई विवाद विधमान होना नहीं पाया जाता है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर वाद, वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि–

आदेश

तन ग्राम ज्योतिबा नगर पटवार हल्का चौकड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 332, 333, 335, 344, 346, 354, 356, 359, 365, 367, 369, 371 किता 12 रकबा 2.36 है. में से 1/2 हिस्से का तथा भूमि ख. नं. 495 रकबा 0.50 है. सम्पूर्ण का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि ख. नं. 332, 333, 335, 344, 346, 354, 356, 359, 365, 367, 369, 371 किता 12 रकबा 2.36 है. में से 1/2 हिस्से से तथा भूमि ख. नं. 495 रकबा 0.50 है. सम्पूर्ण से मृतक मुक्तिलाल पुत्र गोरूलाल का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तद्नुसार पर्चा डिक्री मुर्तिव हो। यह निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित जारी कर खुले न्यायालय में सुना कर जारी किया गया।

16/3/2021

(राकेश कुमार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
खण्डेला जिला सीकर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला जिला सीकर

Scanned by TapScanner